राजकीय संस्कृत महाविद्यालय नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के निधि लेखाओं का निरीक्षण एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2011 से 3/2014
भाग–एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

महाविद्यालय के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों मे अनिर्णीत पैरो पर की गई कार्रवाई का सत्यापना करने पर नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर महाविद्यालय द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है अतः महाविद्यालय इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 8/78 से 3/83

1	पैरा 10	अनिर्णित

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/83 से 3/85

1	पैरा 4 (बी)	अनिर्णीत
2	पैरा 5 (ए)	अनिर्णीत
3	पैरा 5 (बी)	अनिर्णीत
4	पैरा 5 (सी)	अनिर्णीत
5	पैरा 5 (ई)	अनिर्णीत
6	पैरा 8	अनिर्णीत
7	पैरा 9	अनिर्णीत
8	पैरा 10 (बी)	अनिर्णीत
9	पैरा 11	अनिर्णीत
10	पैरा 12	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/85 से 3/87

1	पैरा 4 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 6 (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 7 (ए)	अनिर्णीत
4	पैरा 7 (बी)	अनिर्णीत
5	पैरा 8	अनिर्णीत
6	पैरा 10 (ए)	अनिर्णीत
7	पैरा 10 (बी)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/94

1	पैरा 4 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा 10 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा 11 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 14	अनिर्णीत
5	पैरा 15	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/96

1	पैरा–4(क)(ख)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (क,ख व ग)	अनिर्णीत
3	पैरा–7	अनिर्णीत
4	पैरा–8	अनिर्णीत
5	पैरा–9	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/11

1	पैरा–5	अनिर्णीत	
2	पैरा–6	अनिर्णीत	
3	पैरा–7	अनिर्णीत	
4	पैरा–8	निर्णीत	(की गई कार्रवाई अनुसार)
5	पैरा–9	अनिर्णीत	
6	पैरा–10	निर्णीत	(की गई कार्रवाई अनुसार)
7	पैरा–11	निर्णीत	(की गई कार्रवाई अनुसार)
8	पैरा–12 (i)	अनिर्णीत	
9	पैरा–12 (ii)	अनिर्णीत	
10	पैरा–12 (iii)	अनिर्णीत	
11	पैरा–13	निर्णीत	(की गई कार्रवाई अनुसार)
12	पैरा–14 (i)	अनिर्णीत	
13	पैरा–14 (ii)	अनिर्णीत	
14	पैरा–15	अनिर्णीत	
15	पैरा–16	निर्णीत	(की गई कार्रवाई अनुसार)

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

राजकीय संस्कृत महाविद्यालय नाहन, जिला सिरमौर, (हिमाचल प्रदेश) के निधि लेखाओ अवधि (4/11 से 3/14) का अंकेक्षण, जिसके परिणाम आगामी अनुच्छेदो मे दिए गए है, श्री वीरेन्द्र कुमार (अनुभाग अधिकारी) (ले0प0) द्वारा दिनांक 9.9.14 से 22.9.14 तक के दौरान कालेज परिसर नाहन मे किया गया। माह 6/11, 6/12 व 6/13 का चयन आय तथा माह 9/11, 12/12 व 9/13 के लेखाओं का चयन व्यय की विस्तृत जाँच हेतु किया गया।

अंकेक्षण प्रतिवेदन महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने के लिए लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधानाचार्य ने आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य कियाः–

क्र0सं0	**प्रधानाचार्य का नाम**	**कार्य की अवधि**
1	श्री बुद्धिराम शर्मा	1.4.2011 से 31.3.2014

3 **अंकेक्षण शुल्कः–**

महाविद्यालय के छात्र निधि लेखों (4/11 से 3/14) का अंकेक्षण शुल्क ₹12000/–आँकी गई है जबकि वास्तव में ₹18000/– बनती है।

₹12000/– प्रधानाचार्य द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के ड्राफ्ट संख्या 133568 दिनाँक 20.9.2014 द्वारा भेज दिया गया है। अतः ₹6000/– जमा किये जाने शेष है जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2 को शीघ्र प्रेषित की जाये।

4 **वित्तिय स्थितिः–**

महाविद्यालय के छात्र निधि लेखों की अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट "क"** के पृष्ठ संख्या 16 पर संलग्न है।

5 **निवेशः–**

महाविद्यालय प्रशासन द्वारा निधियों की समस्त राशि को बचत खाते में ही रखा गया है तथा सावधि जमा योजना में किसी राशि का निवेशित नहीं किया गया है। अतः सुझाव दिया जाता है कि यदि भविष्य में कोई आधिक्य/अनुपयुक्त राशि निधि खातों में हो तो उचित वित्तीय प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुए सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित किया जाये ताकि ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके जिस छात्रों की विभिन्न गतिविधियाँ हेतु व्यय किया जा सकता है।

6 **शिक्षा शुल्क के रूप में छात्रों से ₹201000/– की वसूली न करने बारेः–**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान छात्रों से नियमानुसार ₹201000 शिक्षा शुल्क की निम्नविवरणानुसार वसूली नहीं की गई है। यह अनियमित है प्रत्येक छात्र से प्रतिमाह ₹50 की दर से शिक्षा शुल्क की वसूली की जानी अपेक्षित थी जो नहीं की गई यह गम्भीर अनियमितता है। अतः यह प्रकरण शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

क्र0सं0	वर्ष	छात्रों की सं0	दर	राशि
1	2011–12	152	50 प्रतिमाह 50X12=600	91200
2	2012–13	102	50 प्रतिमाह 50X12=600	61200
3	2013–14	18	50 प्रतिमाह 50X12=600	48600
				201000

उपरोक्त विवरणानुसार छात्रों से शिक्षा शुल्क वसूल न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व उक्त राशि की उचित माध्यम से वसूली करके राज़कीय कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये।

7 **Audio Vishal तथा Red Cross निधियों की रोकड़ बहियों से सम्बन्धित राशियों को मिश्रित निधि की रोकड़ बही में हस्तांतरित करने बारेः–**

जाँच के दौरान पाया गया कि Audio Veshal तथा Red Cross निधि से सम्बन्धित रोकड़ बहियों में दिनाँक 31.3.2014 को ₹3706.99 तथा ₹22.32 जमा थे इन निधियों को अब छात्रों से वसूल नहीं किया जा रहा है अर्थात वसूली बन्द कर दी गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त वर्णित दोनों निधियों की रोकड़बहियों में जमा राशियों को महाविद्यालय के मिश्रित निधि खाते से सम्बन्धित रोकड़बही में नियमानुसार हस्तांतरित करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

8 **भवन निधि से सम्बन्धित लेखों का अलग शीर्ष के अन्तर्गत रख रखाव न करने बारेः–**

जाँच के दौरान पाया गया कि भवन निधि से सम्बन्धित राशि को महाविद्यालय की अन्य निधियों के साथ संयुक्त रूप से एक ही खाते में जमा करवाया जा रहा है जिसके

परिणामस्वरूप इस निधि के खाते में एक नियत तिथि को मूल राशि तथा ब्याज के रूप में शुद्ध जमा राशि का पता नहीं लगाया जा सकता है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भवन निधि के लेखों का रख–रखाव अलग शीर्ष के अन्तर्गत किया जाए ताकि आय व व्यय के आंकड़ों का समय समय पर सही पता लगाया जा सके।

9 फीस कलैक्शन रजिस्टर का रख रखाव न करने बारेः–

लेखा परीक्षा के दौरान जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय में फीस कलैक्शन/प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव न करके मौखिक रूप से रसीदों द्वारा प्राप्त राशियों को निधियों की रोकड़ बहियों पर दर्ज किया जा रहा है जोकि नियमों के विपरीत है शुल्क कलैक्शन रजिस्टर का रख रखाव न करने बारे स्थिति स्पष्ट कि जाए जिसे अब तैयार किया जाए ताकि शुल्क कलैक्शन में किसी प्रकार की अनियमितता की सम्भावना न रह सके।

10 पत्रिकाओं की छपवाई हेतु किया गया ₹4000/– का अनियमित भुगतानः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नविवरणानुसार ₹16500/– का भुगतान मै0 सैनी प्रिटिंग प्रैस नाहन को बिल संख्या 2245 दिनाँक 19.3.2012 द्वारा 250 नं0 पत्रिकाओं की छपवाई हेतु किया गया।

क्र0सं0	बिल सं0	दिनाँक	आपूर्तिकर्ता का नाम	मात्रा	दर	राशि
1	2245	19.3.12	मै0 सैनी प्रिटिंग प्रैस नाहन	250 नं0	66	16500

उपरोक्त वर्णित पत्रिकाऐं महाविद्यालय प्रशासन द्वारा ₹66/– प्रति पत्रिका की दर से छपवाई गई (प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशानुसार) पत्रिकाओं की छपवाई No Profit No Loss के आधार पर करवाई जानी अपेक्षित थी। विद्यार्थियों से पत्रिका निधि के रूप में ₹50/– प्रति वर्ष की दर से राशि की वसूली की जाती है तथा इस प्रकार से 250x50=₹12500/– की राशि ही वर्ष के दौरान पत्रिकाओं की छपवाई पर व्यय की जा सकती थी जबकि महाविद्यालय द्वारा (₹16500–12500=₹4000) की अतिरिक्त राशि छपवाई हेतु भुगतान कर दी गई इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अनियमित तरीके से किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए।

मिश्रित निधिः–

11 (क) मिश्रित निधि से ₹29378/– अनियमित भुगतानः–

₹29378 का भुगतान निम्नविवरणानुसार महाविद्यालय के बिजली तथा टेलीफोन के बिलों के रूप में अंकेक्षण अवधि के दौरान मिश्रित निधि खाते से किया गया है हिमाचल प्रदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 42.2 के अनुसार यह व्यय/भुगतान मिश्रित निधि खाते पर वैध प्रभार नहीं है। अतः अनियमित रूप से किये गये इस भुगतान की प्रतिपूर्ति उचित माध्यम से करके वापिस मिश्रित निधि खाते में जमा किया जाए। विकल्प स्वरूप अनियमित तरीके से किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए।

क्र0सं0	**दिनाँक**	**विवरण**	**राशि**
1	20.4.11	बिजली बिल	2579
2	4.5.11	टेलीफोन बिल	1150
3	31.5.11	टेलीफोन बिल	2094
4	5.7.11	टेलीफोन बिल	1176
5	26.8.11	टेलीफोन बिल	2135
6	23.9.11	टेलीफोन बिल	1188
7	18.10.11	टेलीफोन बिल	1159
8	25.11.11	टेलीफोन बिल	1092
9	30.12.11	टेलीफोन बिल	1099
10	27.1.12	टेलीफोन बिल	1082
11	1.3.12	टेलीफोन बिल	1125
12	29.3.12	टेलीफोन बिल	1095
13	29.4.12	बिजली बिल	187
14	5.5.12	टेलीफोन बिल	1076
15	11/12	बिजली बिल	1363
16	10/12	टेलीफोन बिल	2349
17	6/13	टेलीफोन बिल	950
18	6/13	बिजली बिल	1150
19	8/13	बिजली बिल	2592
20	9/13	बिजली बिल	1617
21	9/13	टेलीफोन बिल	1120
		कुल योग	**29378**

(ख) वाऊचर संख्या शून्य दिनाँक 7.9.2011 के तहत **₹**3119/– का भुगतान मैसर्ज कालसन नाहन, (हिमाचल प्रदेश) को बिल/कैशमैमों संख्या 944 दिनाँक 12.8.11 रसीद संख्या शून्य

दिनाँक 21.9.11 द्वारा 6 नं0 बैडमिन्टन रैक्ट की आपूर्ति हेतु मिश्रित निधि से किया गया। जाँच के दौरान पाया गया कि उपरोक्त क्रय विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना किया गया जबकि यह सामान दर संविदा/निविदाऐं के आधार पर खरीदा जाना अपेक्षित था तथा बाजार प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अनियमित तरीके से किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए।

अन्यः—

12 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जानाः—

महाविद्यालय में विभिन्न निधियों के स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन वार्षिक आधार पर हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.17 के अनुसार नहीं की गई है। अतः नियमों की अनुसार स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करने बारे स्थिति स्पष्ट कि जाए तथा अपेक्षित प्रत्यक्ष सत्यापना प्रति वर्ष किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

13 लघु आपत्ति विवरणिकाः—यह अलग से जारी नही की गई है।

14 निष्कर्षः— लेखाओं के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला—171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)सी (15)xi(x)7/83—64—65 दिनांक, 5.1.15 शिमला—171009.
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत 1. प्राचार्य राजकीय संस्कृत महाविद्यालय नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को शीध्र भेजे ।

2. निदेशक (उच्च्व शिक्षा) हिमाचल प्रदेश, शिमला—171001

3. उप निदेशक, (उच्च्व शिक्षा) सिरमौर, जिला सिरमौर हिमालच प्रदेश।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला—171009